रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2013/आश्विन 9, 1935
No. 219] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2013/ASVINA 9, 1935

वस्त्र मंत्रालय

(विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

सं. 1/27/2011/डीसीएच/समन्वय.—भारत सरकार के दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, 27 जुलाई, 2012, 24 अगस्त, 2012, 22 नवम्बर, 2012, 5 सितम्बर, 2013 और 20 सितम्बर, 2013 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति की जाती है :—

1. श्री विनोद शर्मा ,
   सरकारी आवास-99, सरवाल कॉलोनी,
   जम्मू तवी,
   जम्मू व कश्मीर
2. श्री जी. श्री राम कुमार ,
   सुपुत्र श्री गुण्डलापल्ले श्रीनिवासुलु
   डोर सं. III-146-5-4-1, स्कूल रोड,
   नीरुगट्टुवर्लपाल्ले,
   मदनपाल्ले- 517325, चित्तूर जिला,
   आन्ध्र प्रदेश

3. श्री पोन्नेदबोयिना चेंचलाबाबु यादव,
709/1, मारुति नगर,
नवाबपेटा, नेल्लौर जिला,
आन्ध्र प्रदेश

2. उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान में गठित बोर्ड के कार्यकाल के समवर्ती होगा ।

3. बोर्ड/समिति के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग न किए जाने संबंधी दिशा-निदेशों के बारे में वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 4.7.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14015/1/2011-सामान्य (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के सभी गैर-सरकारी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

4. यह बोर्ड सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और कलात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हथकरघा क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रम तैयार करने में सरकार को सलाह देगा । यह बोर्ड विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को सलाह देगा :—

(i) देश की जरूरतों को अधिकाधिक हथकरघा क्षेत्र से पूरा करना;

(ii) बुनकरों में बेरोजगार और अल्परोजगार को कम करने और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए हथकरघा क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाना;

(iii) हथकरघा की शिल्प परम्परा को बनाए रखना और इसे अधिक बढ़ावा देना;

(iv) देश और विदेशों में हथकरघा वस्त्रों के विपणन में वृद्धि करने के लिए कार्य योजना बनाना ;

(v) इस क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के विकासात्मक प्रयत्नों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाना; और

(vi) हथकरघा क्षेत्र के विकास में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना ।

5. इसे माननीय वस्त्र मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

बलविन्दर कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th September, 2013

No. 1/27/2011/DCH/Coordn.—In continuation of Government of India's Resolution of even number dated 22nd December, 2011, 27th July, 2012, 24th August, 2012, 22nd November, 2012, 5th September, 2013 and 20th September, 2013, the following persons have been appointed as non-official members on the All India Handloom Board with immediate effect :—

1. Shri Venod Sharma,
Govt. Qtrs. 99, Sarwal Colony,
Jammu Tawi,
Jammu & Kashmir

2. Shri G. Shree Rama Kumar,
S/o Sh. Gundlapalle Srinivasulu,
Door No. III-146-5-4-1, School Road,
Neerugattuvarlpalle,
Madanapalle-517325, Chittoor District,
Andhra Pradesh
3. Shri Ponneboyina Chenchalababu Yadav,
709/1, Maruthi Nagar,
Nawabpeta, Nellore District,
Andhra Pradesh.

2. The term of the office of the above members will be concurrent with the presently constituted Board.

3. Attention is invited of all non-official members of All India Handloom Board towards Ministry of Textile's O.M. F.No.14015/1/2011-Gen. dated 4.7.2011 regarding guidelines prohibiting use of national emblem by non-official members of Board/Committees (copy enclosed).

4. The Board will advise the Government in formulation of the overall development programme in the handloom sector keeping in view socio-economic, cultural and artistic perspective. In particular, the Board will advise the Government regarding achievement of the following objective :—

(i) to meet the needs of the country progressively from the handloom sector;

(ii) to make handlooms an effective instrument of reducing unemployment and under-employment and achieving higher standard of living for weavers;

(iii) to preserve and further promote the craft heritage of our handlooms;

(iv) to devise strategies for expanding markets for handlooms within the country and abroad;

(v) to take steps for effective co-ordination of the developmental efforts of the various State Governments/Union Territories in this sector; and

(vi) to review the progress of development of handloom sector from time to time.

5. This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Textiles.

BALVINDER KUMAR, Development Commissioner for Handlooms

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.